1184
16/05/2024

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

विषयः– **कृषि अधीनस्थ सेवा (कोटि–01 से 09) के कर्मियों (W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA No.-142/2018 तथा Analogous Cases में वादीगण) को प्रथम ACP वेतनमान 6500–10500/– एवं द्वितीय ACP वेतनमान 10000–15200/– में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं0–683 दिनांक–20.03.2007 के द्वारा कृषि अधीनस्थ सेवा (कोटि–01 से 09) के कर्मियों को प्रथम ACP वेतनमान 6500–10500/– एवं द्वितीय ACP वेतनमान 10000–15200/– में स्वीकृत किया गया था। वेतन सम्पुष्टि के क्रम में वित्त विभाग द्वारा पाया गया कि प्रशासी विभाग (कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची) द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत करने से पूर्व वित्त विभाग के संकल्प सं0–288/वि0 दिनांक–05.02.2007 की सही व्याख्या नहीं की गयी तथा वित्त विभाग के पत्रांक–636/वि0 दिनांक– 08.03.2007 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को संज्ञान में नहीं लिया गया। वित्त विभाग के संकल्प सं0–3594/वि0 दिनांक–18.12.2007 का संज्ञान लेकर कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों को ACP के तहत स्वीकृत उपर्युक्त वेतनमान पर आपत्ति प्रकट की गई एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0–5207/वि0 दिनांक–14.08.2002 एवं संकल्प सं0–3594/वि0 दिनांक–18.12.2007 के आलोक में 1st ACP 5500-9000/- एवं 2nd ACP 6500-10500/- में स्वीकृत करने का परामर्श दिया गया। वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में विभागीय का0आ0सं0–263 दिनांक–22.01.2014 के द्वारा कृषि अधीनस्थ सेवा (कोटि–01 से 09) के कर्मियों को पूर्व में स्वीकृत 1st ACP एवं 2nd ACP के वेतनमान को संशोधित कर क्रमशः वेतनमान 5500–9000/– एवं वेतनमान 6500–10500/– स्वीकृत किया गया एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का भी निर्णय लिया गया।

2. वित्त विभाग के परामर्श के आधार पर विभाग द्वारा निर्गत का0आ0सं0–263 दिनांक–22.01.2014 को निरस्त करने हेतु कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के समक्ष अलग–अलग कई रिट दायर किया गया, जिसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समेकित रूप से W.P.(S) No.-889/2014 (अंबिका प्रसाद एवं अन्य) के साथ की गई एवं सुनवाई के उपरांत दिनांक–18.12.2017 को अंतिम आदेश पारित करते हुए विभागीय का0आ0सं0–263 दिनांक–22.01.2014 को निरस्त कर दिया गया तथा वादीगण (कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मी) को 1st ACP 6500-10500/- एवं 2nd ACP 10000-15200/- में मान्य करते हुए किसी भी प्रकार की राशि की वसूली नहीं करने का आदेश पारित किया गया ।

3. पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग के द्वारा न्यायादेश के अनुपालन करने या न्यायादेश के विरूद्ध अपील (LPA) दायर करने का विकल्प/प्रस्ताव पर वित्त विभाग से परामर्श की माँग की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं0–5207/वि0 दिनांक–14.08.2002 एवं संकल्प सं0–3594/वि0 दिनांक–18.12.2007 में निहित प्रावधानों के अनुरूप न होने के कारण तत्समय विभाग को अपील दायर (LPA) दायर करने का परामर्श दिया गया।

4. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा LPA No.-142/2018 (झारखण्ड सरकार बनाम अंबिका प्रसाद एवं अन्य) एवं अन्य सदृश्य मामले में LPA दायर किया गया। LPA No.-142/2018 (झारखण्ड सरकार बनाम अंबिका प्रसाद एवं अन्य) एवं अन्य सदृश्य मामले को सूचीबद्ध कर समेकित रूप से सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक–07.02.2023 को अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया है। जिसमें डिवीजन बेंच के द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"Having regard to the aforesaid facts and circumstances in the case, the writ court's order as contained in Paragraph no.12 of the order dated 22nd January 2014 that the writ petitioners are entitled for the Pay scale of Rs. 6500-10500/- on account of grant

of 1st ACP and the pay-scale of Rs. 10000-15200/- by way of 2nd ACP also does not call for any interference by this court. However, it is made clear that we have accorded our concurrence to the Writ Court's order dated 18th December 2017 in the peculiar facts and circumstances of the case.

Accordingly these Letters Patent Appeals are dismissed."

5. LPA No.-142/2018 एवं अन्य सदृश्य अपील वादों में दिनांक–07.02.2023 को पारित उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध वित्त विभाग/विधि विभाग के परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Civil) No.-24039/2023 दायर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश निम्नवत् हैः–

1. Delay Condoned.
2. We are not inclined to interfere with the order impugned herein under Article 136 of the Constitution of India.
3. The Petition for Special Leave to Appeal is dismissed.
4. Pending applications are disposed of.

6. उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मियों को ACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ वित्त विभागीय संकल्प सं0–5207/वि0 दिनांक–14.08.2002 एवं संकल्प सं0–3594/वि0 दिनांक–18.12.2007 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में प्रदान किया जाता है। संकल्प सं0–5207/वि0 दिनांक–14.08.2002 के कंडिका–2(3) में यह प्रावधान अंतर्निहित है कि **"यह वित्तीय उन्नयन संबंधित सेवक को उसके संवर्ग के लिए निर्धारित प्रोन्नति के वर्त्तमान पदसोपान के वेतनमान में मिलेगा और इसके लिए वित्त विभाग के संकल्प सं0–660/(वि) दिनांक–08.02.1999 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य आदेशों द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही प्रासंगिक होंगे। जहाँ प्रोन्नति के पद सोपान निर्धारित नहीं हैं या पद सोपान में दो से कम प्रोन्नति के पद कर्णांकित हैं, वहाँ अनुसूची–1 के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।"** वित्त विभाग के पत्रांक–636 दिनांक–08.03.2007 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि **"किसी भी कर्मी को ACP के तहत प्रथम/द्वितीय उन्नयन उसके संवर्ग के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पदश्रृखंला के वेतनमान में मिलेगा अर्थात, जिस संवर्ग की प्रोन्नति की जो पदश्रृखंला होगी, उसी में वित्तीय उन्नयन देय होगा।"**

7. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3594/वि0 दिनांक–18.12.2007 में ACP के प्रावधान को पुनः स्पष्ट किया गया है। संकल्प के कंडिका–3(iii) में स्पष्ट किया गया है कि **"ऐसे पद/पद समूह जिसके लिए भर्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली गठित नहीं है अथवा गठित नियमावली में प्रोन्नति के पद–सोपान का निर्धारण नहीं किया गया है, परन्तु राज्य सेवा/संवर्ग के कुछ प्रतिशत पद ही इनके प्रोन्नति/भर्ती हेतु कर्णांकित है, वैसे मामलों में राज्य सेवा/संवर्ग के पद को ए0सी0पी0 के प्रयोजन हेतु विशिष्ट रूप से निर्धारित पद–सोपान नहीं माना जाएगा। परन्तु राज्य सरकार ने जिस पद/संवर्ग विशेष के मामले में ए0सी0पी0 के तहत् देय वेतनमान के संबंध में विशिष्ट निर्णय लिया है, वह यथावत लागू रहेगा।"**

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में उल्लेखनीय है कि कृषि अधीनस्थ सेवा से कृषि सेवा वर्ग–2 में प्रोन्नति गैर संवर्गीय है। कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली के अनुसार कृषि सेवा वर्ग–2 में प्रोन्नति के पदसोपान विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। राज्य कृषि सेवा वर्ग–2 (राजपत्रित) के कुछ प्रतिशत पद ही प्रोन्नति हेतु कर्णांकित है। अतः कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों को राज्य कृषि सेवा वर्ग–2 (राजपत्रित) के पद का वेतनमान ACP के निमित्त स्वीकृत करना नियमसंगत नहीं है। कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों को संकल्प सं0–5207/वि0 दिनांक–14.08.2002 की अनुसूची–1 में निर्दिष्ट वेतनमान के तुरंत बाद वाले वेतनमान 5500–9000/– एवं वेतनमान 6500–10500/– में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय होगा। एकलपीठ एवं डिवीजन बेंच का Observation एवं पारित न्यायादेश वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्पों/परिपत्रों यथा संकल्प सं0–5207/वि0

1189
16/05/2024

दिनांक–14.08.2002, पत्रांक–636/वि0 दिनांक–08.03.2007 एवं संकल्प सं0–3594/वि0 दिनांक–18.12.2007 के अनुरूप नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रासंगिक वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों को 1st ACP एवं 2nd ACP के तहत क्रमशः 6500–10500/– एवं 10000–15200/– का वेतनमान अनुमान्य किये जाने के उपरांत अन्य पर्यवेक्षकीय संवर्गों, जिनका संवर्गीय प्रोन्नति का पदसोपान निर्धारित नहीं है एवं राज्य सेवा/संवर्ग के कुछ प्रतिशत पद इनके प्रोन्नति/भर्त्ती हेतु कर्णांकित है, के द्वारा भी विचाराधीन मामले को पूर्वोद्धारण बनाकर राज्य सेवा/संवर्ग के पद के वेतनमान में ACP का दावा किया जा सकता है, इससे न सिर्फ राज्य के राजकोष पर भारी दबाव पड़ेगा, बल्कि ACP/MACP संकल्प के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA No.-142/2018 में पारित आदेश का अनुपालन न होने के कारण वादीगण द्वारा अवमाननावाद भीं दायर किया गया है। अवमाननावाद दायर होने एवं SLP खारिज होने की स्थिति में कारण पृच्छा दायर करने/न्यायादेशों का अनुपालन करने के संबंध में मंतव्य/परामर्श हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी, इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा मंतव्य गठित किया गया कि विकल्पहीनता की स्थिति में न्यायादेश का अनुपालन वैधानिक बाध्यता होगी। अतः प्रशासी विभाग (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची) को सभी तथ्यों से विधि विभाग को अवगत कराते हुए न्यायादेश के अनुपालन के बिन्दु पर विधि विभाग का भी मंतव्य प्राप्त कर लेने का परामर्श दिया गया।

उक्त के आलोक में विधि विभाग द्वारा संवैधानिक एवं विधिक Mandate को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का परामर्श दिया गया।

विधि विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि न्यायादेश का अनुपालन वैधानिक बाध्यता प्रतीत होता है। चुंकि एकल पीठ एवं डिवीजन बेंच का Observation एवं पारित न्यायादेश, वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्पों/परिपत्रों यथा संकल्प सं0–5207/वि0 दिनांक–14.08.2002, पत्रांक–636/वि0 दिनांक–08.03.2007 एवं संकल्प सं0 3594/वि0 दिनांक–18.12.2007 के अनुरूप नहीं है। अतः मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर वादीगण के मामले को पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है। इस हेतु वित्त विभाग द्वारा SLP खारिज होने के उपरांत न्यायादेश के अनुपालन की वैधानिक बाध्यता के दृष्टिगत निम्न शर्त्तों के साथ संलेख प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी :–

(i) वादीगण को ACP योजना के तहत प्रस्तावित वेतनमान W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA No.-142/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से आच्छादित है तथा इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

(ii) ACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन हेतु सामान्य प्रोन्नति मानको यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता की प्राप्ति तथा अन्य अर्हताएं, जो प्रोन्नति के लिए निर्धारित है, को प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. **अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में कृषि अधीनस्थ सेवा (कोटि–01 से 09) के कर्मियों (W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA No.-142/2018 तथा Analogous Cases में वादीगण) को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में प्रथम ACP वेतनमान 6500–10500/– एवं द्वितीय ACP वेतनमान 10000–15200/– में अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो पूर्वोद्धारण नहीं होगा।**

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण के जानकारी के लिए राजकीय पत्र के आगामी अंक/असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं प्रकाशित राजकीय पत्र (गजट) की दो सौ प्रतियां विभाग को प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव।

1189
16/05/2024

ज्ञापांक–07 / कृ0स्था0विधि कोर्ट–07 / 14 1184 राँची, दि0– 16/05/2024
प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–07 / कृ0स्था0विधि कोर्ट–07 / 14 1184 राँची, दि0– 16/05/2024
प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव, झारखण्ड / विकास आयुक्त, झारखण्ड / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त, झारखण्ड / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–07 / कृ0स्था0विधि कोर्ट–07 / 14 1184 राँची, दि0– 16/05/2024
प्रतिलिपिः कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची / निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, रांची / निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, रांची / निदेशक, समेति, झारखण्ड, रांची / सभी संयुक्त कृषि निदेशक / सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी / सभी संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी–सह–जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–07 / कृ0स्था0विधि कोर्ट–07 / 14 1184 राँची, दि0– 16/05/2024
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव / अपर निदेशक–सह–अपर सचिव / सभी अवर सचिव, कृषि प्रभाग / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।